

प्रमाणित प्रतिलिपि
उत्पन्न 30/11/12... नं. 19/12
शक (1974)...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या:- 90/2013 (गत नं. 180/2012)
प्रार्थीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम
 2. हरदेवाराम पुत्र रामेश्वरलाल
 3. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासीगण देऊसर तहसील कुचामनसिटी
- बनाम**

अप्रार्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पांचवा
2. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
3. निरीक्षक भूअ. कुचामनसिटी
4. पटवारी हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा, नक्शा व गलत खसरा अंकन की गलती के शुद्धीकरण हेतु आवेदन पत्र अ.धा. 212 राज.का.अधि.1955
उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री बीरमाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 ओर से।
आदेश

दिनांक:- 30/11/12

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है उपरोक्त अनुदान का एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अदालत में जेर तजबीज है, जिसमें वादीगण को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। ग्राम पांचवा की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 616 में रकबा 35 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 शंकरलाल के कब्जा शुद्ध खातेदारी की स्थित रही है। इस भूमि में स्वयं के खर्चों से नया कुआ बना लिया था, इस भूमि के नवीन भू-प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन खसरा नम्बर 110 रकबा 0.01 हैक्टर कुआ खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर की किस्म बारानी प्रथम कुल 5.67 हैक्टर कायम हुए है जो वर्तमान में नवीन राजस्व ग्राम देउसर पटवार हल्का पांचवा की सरहद में अंकित है, बिणजारी तलाई से ग्राम चितावा जाने वाला आम रास्ता स्थित है जो वर्तमान में सड़क मार्ग बन चुका है इस सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ उपर्युक्त भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगणों में जरिये विक्रय पत्र 16.12.06 को अप्रार्थी नं. 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार कृषक इस भूमि पर काबिज है प्रार्थीगण अपनी क्रय शुद्धा इस भूमि अर्द्ध निर्मित कुए पर विद्युत पम्प सेंट लगाकर विद्युतिकृत किया है, लाखों रुपये खर्च कर भूमि को उपजाऊ बनाकर चाही बनाया है प्रार्थीगण की भूमि के चारों तरफ बाड डोल लगा रखी है इस जाव में प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार फसल



Handwritten signature

प्रमाणित प्रतिलिपि

बाक़र सिवाइ करत आ रह है। उपर्युक्त भूमि में कोई सरकारी भूमि नहीं रहा है वादीगण द्वारा उपर्युक्त भूमि जब खरीदी तब जहाँ अप्रार्थी सं. 1 का भौतिक कब्जा रह, वही पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया और वही पर निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। कुछ दिनों से पटवारी हल्का द्वारा कहा जाने लगा कि प्रार्थीगण ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, इसलिए उन्हें बेदखल करायेगे तथा प्रार्थीगण के जाव के टुकड़े किए जावेगें, तब प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस व आवश्यक नकलात प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मौका के कब्जा की भौतिक स्थिति के विपरीत नवीन भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने उक्त रास्ता के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण 1 के कब्जा व खातेदारी की भूमि के कुछ भाग की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 318/111 के अंकन की कोई भूमि ही विद्यमान नहीं है, न ही मौका पर इस खसरा को खसरा नम्बर 111 से अलग करने जैसे कोई अलामात या सीमा न पहले भ्ज़ी नहीं वर्तमान में है, नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन खसरा नम्बर 112 की पूर्वी तरफ व नवीन खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ स्थित भूमि व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ स्थित भूमि नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि है यह भूमि मौके पर 5.67 हैक्टर भूमि ही है इस परिसीमाओ के बीच नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 318/111 की भूमि विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण की इस भूमि से उत्तरी तरफ रास्ता सड़क नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 की भूमि स्थित है जो करीब साढ़े तेरह बीघा भूमि है उक्त भूमि मौके पर रास्ता व उससे उत्तरी तरफ की भूमि मौके पर 2.18 हैक्टर है जबकि सरकारी खाते में 0.40 एवं 0.74 कुल 1.14 हैक्टर ही अंकित कर रखा है तात्पर्य यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 1.14 हैक्टर के बजाय 2.18 हैक्टर विद्यमान है मौके पर नक्शा ट्रेस व रेकॉर्ड में नवीन खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व ही नहीं है बिना अस्तित्व के भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने नया खसरा नम्बर 318/111 नक्शा व रेकॉर्ड कायम किया है जबकि नक्शा व रेकॉर्ड में नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 का रकबा 2.18 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था पर जो कम दर्ज किया गया। नवीन सेटलमेंट की कार्यवाही से पूर्व भी गत खसरा नम्बर 616 के उत्तरी तरफ गत खसरा नम्बर 542 की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित रही है, नवीन भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने नवीन खसरा नम्बर 318/111 को गत खसरा नम्बर 542, 616 का भाग दर्शाते हुए खसरा मिलान बनाया है जो सर्वथा गलत व मौका व गत नक्शा व रेकॉर्ड के विपरीत है, गत नक्शा ट्रेस की स्थिति के विपरीत नवीन खसरा नम्बर 318/111 को नक्शा व रेकॉर्ड में कायम किया गया है जो सर्वथा गलत अंकन है, मौके पर नवीन खसरा नम्बर 111 की भूमि व नवीन खसरा नम्बर 113, 317/116 की भूमि गत नक्शा में अंकित गत खसरा नम्बर 616 का ही भाग है, गत खसरा नम्बर 542 की भूमि इस भूमि के नजदीक भी नहीं है। जहाँ अप्रार्थी नं. 1 काबिज था वही पर प्रार्थीगण काबिज है अगर वादीगण की इस 5.67 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा व अधिकार में खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर के किसी प्रकार का दखल, भू-प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से किए गए उपर्युक्त गलत अंकन के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 डालने में सफल हो गए तो प्रार्थीगण के जायज अधिकारों पर कुठाराघात होगा, प्रार्थीगण के जाव की शकल ही बदल जावेगी एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। नवीन नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन खसरा नम्बर 318/111 का अस्तित्व मौके पर नहीं होने से उक्त गलती का शुद्धिकरण किया जाने योग्य है, क्योंकि खसरा नम्बर 318/111 का जो रकबा रेकॉर्ड में दर्शाया गया है व रकबा



मौके पर नवीन खसरा नम्बर 113 317/118 में समाहित है इसलिए गांव का नक्का बनाने का कोई कारण ही नहीं है खसरा नम्बर 113 317/118 का रकबा 114 है जो कि लाय 2.18 हैक्टर बढ़ाया जाने योग्य है तथा नक्शा में की गई खसरा नम्बर 318/111 के अंकन को विलोपित कर नक्शा दुरुस्त कर सुधार किया जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है मौके पर प्रार्थीगण की कब्जा व अधिकार की भूमि में खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर बेटखल किया जाता है तो प्रार्थीगण का वाद हित तो प्रभावित होगा ही बल्कि अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी, प्रार्थीगण के जाव की नौका स्थिति में परिवर्तन होना तमाम हालात नाष्ट हो जावेगे, आवासा पशुओं जानवरों से प्रार्थीगण की फसल बर्बाद हो जावेगी तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़कर बर्बादी प्रार्थीगण की होगी। प्रार्थीगण की इस्तादुआ है कि ग्राम देऊसर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 5.66 हैक्टर भूमि में खसरा नम्बर 318/111 की भूमि मानकर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखल प्रार्थीगण के कब्जा काशत में नहीं डाले तथा खसरा नम्बर 112 की पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 176, 105 के पश्चिमी तरफ व सड़क मार्ग से दक्षिणी तरफ प्रार्थीगण की कब्जा काशत व मौके की यथास्थिति में कोई परिवर्तन अप्रार्थीगण नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताकैसला वाद जारी फरमावे ताकि प्रार्थीगण के हित सुरक्षित रह सके।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं. एक की ओर से श्री बीरमाराम चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होंने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, अप्रार्थी सं. 3 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर वर्तमान में गै.मु. गोचर राजकीय दर्ज है, गोचर राजकीय दर्ज होने से प्रार्थी के पक्ष में कतई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं है इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा मूल दस्तावेज दावा में प्रस्तुत किये है तथा इनकी छाया प्रतिया प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत की है। वकील एवं राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होंने अपने अपने पक्ष में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र मुताबिक रिलिफ के लिए निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046-2065 में ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 318/111 रकबा 1.04 हैक्टर गोचर दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2010-2013 ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 616 रकबा 348 बीघा 17 बिस्वा खारडा अलावा जोत नाकाबिल काशत दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2030-2033 तक खसरा नम्बर 616 रकबा 277 खारडा मिल्लिकयत राजकीय भूमि जो चराई के लिए उपलब्ध है, नकल खतौनी सम्वत 2033-2036 में खसरा नम्बर 616 रकबा 210 बीघा गै.मु.खारडा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2037-2040 तक में खसरा नम्बर 616 रकबा 95 बीघा गै.मु. खारडा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2042-2045 में खसरा नम्बर 616 रकबा 85 बीघा गै.मु.खारडा दर्ज है, नामा सं.298 की नकल अनुसार शंकरलाल पुत्र हरीप्रसाद शर्मा को 15 बीघा खसरा नम्बर 542 मिन 15 बीघा की गैर



